

आशियाना हाउसिंग लिमिटेड

(शाखा कार्यालय:- चतुर्थ मंजिल, विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी (अलवर) राज. पिन कोड 301019, फोन 01493-665666)

की परियोजनाओं आशियाना तरंग, आशियाना टाउन,
आशियाना सुरभि, भिवाड़ी एवं आशियाना आंगन नीमराणा में आरक्षित
ईडब्ल्यूएस/एलआईजी (EWS-LIG) के निर्मित फ्लेट प्राप्त करने
का सुनहरा अवसर

आवेदन-पत्र

 **ashiana**
tarang EWS / LIG

 **ashiana**
town EWS / LIG



आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) फ्लेट्स का

“पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर आवंटन

(राजस्थान सरकार की अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के मॉडल नम्बर-1 के अन्तर्गत)

अफ़ोडेबल हाउसिंग पालिसी-2009 के मॉडल नम्बर-1 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के निर्मित फ्लेट्स का आशियाना हाउसिंग लिमिटेड द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर आवंटन हेतु निर्देशिका

1- योजना का विवरण: :-

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19.10.2020 एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश दिनांक 21.03.2018 के अनुसार अफ़ोडेबल हाउसिंग पालिसी-2009 के मॉडल नम्बर-1 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग फ्लेट की आशियाना हाउसिंग लिमिटेड भिवाड़ी-नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित चार ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं:-

1. आशियाना तरंग ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ब्लॉक ग्राम मिलकपुर गुर्जर, बाबा मोहनराम खोली मार्ग, भिवाड़ी तहसील तिजारा। (रैरा पंजीयन क्रमांक :- RAJ/P/2018/871)
2. आशियाना टाउन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ब्लॉक, ग्राम थड़ा एवं उदयपुर, अलवर बाईपास रोड़, भिवाड़ी, तहसील तिजारा।
3. आशियाना सुरभि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ब्लॉक, ग्राम रामपुरा, रामपुरा-शाहडोद मार्ग, भिवाड़ी, तहसील तिजारा।
4. आशियाना आंगन नीमराणा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ब्लॉक, ग्राम मोहलडिया, NH-8, तहसील नीमराणा।

2- आवंटन की प्रक्रिया:-

- 2.1 अफ़ोडेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के मॉडल नम्बर 1 के अधिशेष इकाईयों के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात्, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जा रहा है।
- 2.2 आवेदक को भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19.10.2020 एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश दिनांक 21.03.2018 के अनुसरण में विकासकर्ता द्वारा जारी आवंटन पत्र की सम्पूर्ण राशि विकासकर्ता को 03 माह में जमा करवानी होगी, तत्पश्चात् विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने के पश्चात् कब्जा पत्र तैयार कर आवंटी की मूल पत्रावली को बीडा कार्यालय में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 16.06.2017 के अनुसरण में लीज डीड आवंटी के पक्ष में जारी करने हेतु हस्तांतरित की जावेगी।
- 2.3 बीडा भिवाड़ी द्वारा अफ़ोडेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के मॉडल नम्बर 1 के अन्तर्गत निर्मित फ्लेटों की लीज डीड आवंटी के पक्ष में जारी की जावेगी। आवंटी द्वारा नियमानुसार लीजडीड का पंजीयन संबंधित उप पंजीयक कार्यालय से करवाने के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा आवंटी को फ्लेट का भौतिक कब्जा दिया जावेगा।
- 2.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

3- "पहले आओ, पहले पाओ" हेतु आवेदन करने की पात्रता :

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो एवं राजस्थान का रहने वाले हो/रह रहा हो। यदि राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile of Rajasthan) का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हो सकें तो शपथ पत्र (Affidavit) जो नोटेरी से सत्यापित हो या आधार कार्ड/राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. आदि भी दिया जा सकता है। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

- 3.2 आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधार कार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उस का नंबर अपडेट कराना होगा।
- 3.3 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उस के पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 50,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/प्लेट (लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 3.4 कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे नगर विकास न्यास, भिवाड़ी/भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा, भिवाड़ी) द्वारा भूखण्ड/प्लेट पहले ही आवंटित किया जा चुका है चाहे उसका आकार कितना भी हो/वह इस योजना के अन्तर्गत प्लेट के लिए आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 3.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 18(36)यूडीएच/एनएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्पआय वर्ग (LIG) आवेदक की वार्षिक आय, प्लेट का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है:-

क्र.सं. .	विवरण		कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1	योजनाओं में प्लेट का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया	आशियाना तरंग	450 वर्गफीट	658.11 – 658.33 वर्गफीट
		आशियाना टाउन	471 एवं 477 वर्गफीट	654 एवं 662 वर्गफीट
		आशियाना सुरभि	466 वर्गफीट	632 वर्गफीट
		आशियाना आंगन नीमराणा	495 वर्गफीट	695 वर्गफीट
2	(i) परिवार की सकल वार्षिक आय सीमा (रूपये)		3,00,000/-तक प्रतिवर्ष	3,00,001/- से 6,00,000/- तक प्रतिवर्ष
	(ii) प्लेट कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्ग फीट	आशियाना तरंग	1835/-प्रति वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप एरिया पर)	नोट :- उक्त परियोजनाओं में अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट होने पर अतिरिक्त दर 75/- रूपये प्रति वर्ग फीट सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल पर लिया जाने पश्चात् कुल दर।
		आशियाना सुरभि		
		आशियाना टाउन		
		आशियाना आंगन नीमराणा	1760/- प्रति वर्ग फीट (सुपर बिल्ट अप एरिया पर)	
(iii) आवेदन राशि प्रति प्लेट		14000/-	20000/-	
नोट:- 01.04.2022 से नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 20.01.2020 के अनुसरण में आवंटन दर में 5% की स्वतः वृद्धि हो जाएगी।				

- 3.6 पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, शाखा कार्यालय:-चतुर्थ मंजिल, आशियाना विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में जमा कराना होगा।
- 3.7 इस योजना के अंतर्गत आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार (EWS हेतु 14,000/-) एवं (LIG हेतु 20,000/-) बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा प्रत्येक आवेदन से **ASHIANA HOUSING LTD. BHIWADI ACCOUNT** (भिवाड़ी में देय) के नाम से आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के शाखा कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा।
- नोट:-** बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पीछे आवेदक का नाम, मोबाइल नम्बर एवं EWS/LIG श्रेणी अवश्य लिखें।

3.8 आवेदक के स्वयं के परिवार की वार्षिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिए :-

- 1) वेतन, विशेष, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति एवं देय अन्य भत्ते।
- 2) गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय इत्यादि शामिल होंगे।
- 3) विनियोग से ब्याज।
- 4) कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में पति/पत्नी की आय।

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में आश्रितों की आय।

(घ) आवेदक की कुल आय क+ख +ग के बराबर मानी जावेगी।

आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाणपत्र में अंकित करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

नोट:- नोटेरी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र नियोक्ता अथवा राजपत्रित आधिकारी का ही मान्य होगा।

3.9 अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी-2009 मॉडल नम्बर 1 के लिए नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 21.03.2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के मॉडल नम्बर 1 तहत निर्धारित दर 1760/-रु प्रतिवर्ग फीट (नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.01.2020 के अनुसार पूर्व की दर रु 1600/-प्रति वर्ग फीट मे 5 प्रतिशत की दो बार सालाना वृद्धि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्धारित दर 1760/- रु प्रतिवर्ग फीट में से रुपये 100/-प्रतिवर्ग फीट संबंधित नगरीय निकाय (भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण) एवं रुपये 50/-प्रतिवर्ग फीट संधारण मद मे विकासकर्ता की मेंटेनेंस एजेन्सी में रखी जावेगी। शेष राशि विकासकर्ता के पास रहेंगी।

3.10 जीएसटी एवं अन्य कर (Taxes) फ्लेट के विक्रयमूल्य से अलग देय होगा।

3.11 निर्मित आवासो में बिल्टअप/कारपेट क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण		कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
निर्मित	आशियाना तरंग	375	549 एवं 557
बिल्टअप	आशियाना टाउन	362 एवं 368	545 एवं 553
एरिया (लगभग वर्गफीट में)	आशियाना सुरभि	379 एवं 383	546
	आशियाना आंगन नीमराणा	368	553
निर्मित कारपेट एरिया (लगभग वर्गफीट में)	आशियाना तरंग	324	496
	आशियाना टाउन	305	480
	आशियाना सुरभि	316	477
	आशियाना आंगन नीमराणा	305	480

- निर्मित क्षेत्रफल के फ्लेट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकानी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश पं. 18(36) नविवि/NAHP/2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर से बेचे जाने वाले सभी प्रावधानों में लिफ्ट की सुविधा सम्मिलित की जाती है तो अधिकतम 50 ईकाईयों पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर आवंटियों द्वारा विकासकर्ता को रू 75/ प्रतिवर्गफीट की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं उसमें लिफ्ट सुविधा के प्रावधान हेतु उपरोक्तानुसार आवंटी अतिरिक्त लिफ्ट चार्ज देने के लिये बाध्य होगा।

4- आवेदन की सामान्य शर्तें:

- 4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होंगे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व **स्वयं के नाम से** चालू स्थिति में हो। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।**
- 4.2 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- 4.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- 4.4 आवंटी द्वारा आवंटित फ्लेट का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।
- 4.5 आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लेट लेना चाहता है केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें आवेदक अशक्त है। ऐसे मामले में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता/सकती है। किसी भी आवेदक को आवेदन पत्र में किसी विवरण का काटना/मिटाना या इसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन पत्र भरें।
- 4.6 किसी भी शर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5- फ्लेट के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दु:

- 5.1 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 5.2 आवेदक द्वारा निर्धारित श्रेणी हेतु आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 5.3 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.सी. कोड इत्यादि देने पर)।
- 5.4 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 5.5 संस्था या कम्पनी के नाम से भरे गये आवेदन पत्र।
- 5.6 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लेटों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।

- 5.7 आवेदक के पात्रता की जांच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर आवंटित फ्लेट निरस्त कर आवंटित फ्लेट का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।
- 5.8 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि फ्लेट आवंटन करवाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लेट की कीमत जमा पश्चात भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/मुख्य कार्यकारी अधिकारी भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लेट का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।
- 5.9 आवेदक के पास कब्जा पत्र जारी किए जाने से पूर्व फ्लेट को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किए जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी तथापि निर्धारित रद्दकरण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा।

क्र. सं.	मांग पत्र जारी होने की तिथि से निम्नलिखित दिनों के अन्दर लौटाना/रद्द कराना	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मामलों में
1.	मांग पत्र जारी होने से पहले	शून्य
2.	प्रथम दिन से 30 दिन तक	1000
3.	30 दिन से 90 दिन तक	1500

फ्लेट रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- मूल आवंटन/मांगपत्र/इकरारनामा।
- बैंक विवरण की प्रति।
- आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।

6- "पहले आओ, पहले पाओ" में आवंटन होने के पश्चात की प्रक्रिया: :-

- 6.1 आवेदक को निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) करके जमा करवाना आवश्यक होगा व विकासकर्ता द्वारा मूल दस्तावेज से सत्यापन करवाने की आवश्यकता होने पर विकासकर्ता के शाखा कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन करवाना होगा अन्यथा आवंटित फ्लेट का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र यदि राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domoicile of Rajasthan) का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हो सकें तो शपथ पत्र (Affidavit) जो नोटेरी से सत्यापित हो या राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. आदि (समस्त आवेदकों के लिए),
 - जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधारकार्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
 - आधारकार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधारकार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उस का नम्बर विकासकर्ता के शाखा कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।

- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- 6.2 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदक को आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवंटी के आवेदन पत्र में लिखे पते पर भेजे जायेंगे। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में फ्लेट की सम्पूर्ण कीमत एवं भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने वाले राशि तथा मेंटेनेंस फंड विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।
- 6.3 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकती है। ब्याज की गणना राशि जमा कराने की निर्धारित तिथि से देय होगी।
- 6.4 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में निर्धारित माध्यम बैंक/बैंकड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 6.5 फ्लेट आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में संपूर्ण राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लेट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

7- अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- 7.1 फ्लेट 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे एवं फ्लेट की लीज डीड भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा, भिवाड़ी) द्वारा जारी की जावेगी।
- 7.2 आवंटित फ्लेट का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लेट का आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 7.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।
- 7.4 आवंटी को इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लेट का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा। आवंटनकर्ता इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
- 7.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- 7.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित फ्लेट का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लेट का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
- 7.7 आवंटन में प्राप्त फ्लेट केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेंगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार रहेंगे।
- 7.8 आवासीय इकाई (फ्लेट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देख भाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, लिफ्ट, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जावेगा। रख रखाव का खर्चा सोसाईटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये राशि रु 2000/ अल्प आय वर्ग के लिये 3000/ आवंटी द्वारा

जमा करानी होगी, जोकि सोसाईटी के खाते में विकासकर्ता द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसाईटी द्वारा नियमित रख-रखाव तथा सोसाईटी या मेंटीनेंस एजेंसी द्वारा जो भी मासिक मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसाईटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियों से समन्वय कर करवाया जायेगा।

- 7.9 यह कि उक्त सम्पूर्ण परियोजना में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी ब्लॉक का प्रवेश व निकास द्वार पृथक है तथा इस ब्लॉक के कॉमन सुविधाएँ व मुख्य आवासीय परियोजनाओं की कॉमन सुविधा पृथक है ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी ब्लॉक के आवंटी मुख्य परियोजना की सुख सुविधा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही उनका उपयोग कर सकेंगे।
- 7.10 फ्लेट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लेट में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लेट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7.11 किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी का निर्णय अन्तिम होगा।
- 7.12 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार भिवाड़ी ही होगा।

— शपथ—पत्र :—

(समस्त आवेदको के लिए)

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री आयु
निवासी

.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

1. यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्रीहोल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
2. यह कि आवेदन पुस्तिका/निर्देशिका को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/दूँगी।
3. उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित प्लेट निरस्त किया जा सकेगा।
4. नगर विकास न्यास, भिवाड़ी/भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा, भिवाड़ी) द्वारा भूखण्ड/प्लेट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान पहले आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता (IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पत्नि/पुत्री.....
ने उपर्युक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/
नोटेरी पब्लिक

(शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी
दण्डनायक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

(आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावें। वेतन प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा)

—:आय प्रमाण-पत्र —:
(गैर वेतनभोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्रीपुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री जाति निवासी.....
.....ग्राम तहसीलराज्य की स्वयंपति/पत्नी और आश्रितों की
सकल वार्षिक आय रुपये अक्षरे शब्देन..... है
व मेरा पैन नम्बर है।

दिनांक :-
स्थान :-

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/
राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

(इस प्रमाण-पत्र पर केवल राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।)

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री शपथपूर्वक
घोषणाकरता/करतीहूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणापत्र प्रस्तुत करने
पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जासकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिये)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री इस विभाग में.....
पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम का/की कर्मचारी हूँ/हैं।
इनकी सकल मासिक आय रु प्रतिमाह है एवं स्वयं/पत्नि/पति एवं आश्रित एवं परिवार कार्ड
के सभी सदस्यों की सकल वार्षिक आय रुपये है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

स्थान :
दिनांक:

15. पंजीकरण हेतु **EWS** (3,00,000/- तक प्रतिवर्ष) / **LIG** (3,00,001/- से 6,00,000/- तक प्रतिवर्ष) प्लेट की श्रेणी इस बॉक्स में **EWS** या **LIG** में से एक, जो लागू हो वह अंकित करें।

16. आशियाना की परियोजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया है.....

17. आवेदन शुल्क हेतु जमा किए जा रहे बैंक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण रुपये
ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या दिनांक बैंक का नाम
ब्रांच का नाम शहर का नाम

18. सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

क. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं है तथा मेरे/मेरे परिवार कार्ड में वर्णित सदस्यों ने आशियाना हाउसिंग लिमिटेड की अफोडेबल हाउसिंग परियोजनाओं के लिए आवेदन किया है यह तथ्य गलत पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावे।

ख. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबंधों एवं शर्तों को निर्देशिका में सावधानीपूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

ग. मेरे/हमारे पास स्वयं एवं (पति/पत्नि) तथा किसी भी आश्रित के पास एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवार कार्ड में वर्णित सदस्यों के पास भी राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (50000 हजार से अधिक आबादी) में कोई आवासीय भूखण्ड एवं मकान (लीजहोल्ड अथवा फ्री होल्ड पर) नहीं हैं।

घ. मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के नाम क्रम में निर्देशित करता/करती हूँ।

क्र. स.	नाम	आयु	संबंध
प्रथम
द्वितीय

19. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर बॉक्स में टिक करें।

i. आवेदक का आधार कार्ड

ii. आवेदक का पैन कार्ड

iii. आवेदन शुल्क का बैंक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक

(नोट:- बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे आवेदक का नाम, मोबाइल नम्बर एवं EWS/LIG श्रेणी अवश्य लिखें।)

iv. आवेदक के पते सम्बन्धित पहचान के संबंध में (आधार कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मूल निवास/पासपोर्ट/वोटर आई.डी. कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र)

v. मूल निवास प्रमाण पत्र यदि Domicile of Rajasthan का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हो सकें तो शपथ पत्र (एफेडेबिट) जो नोटेरी से सत्यापित हो या आधार कार्ड/राशन कार्ड /फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. आदि

vi. निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण-पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।

vii. आवेदक के बैंक खाता नम्बर के सत्यापन हेतु कौंसिल बैंक या पास बुक के प्रथम पेज जिसमें खाता नम्बर व IFSC Code लिखे हों, की फोटोप्रति।

दिनांक:-..... :-

हस्ताक्षर प्रथम आवेदक

नाम.....

हस्ताक्षर द्वितीय आवेदक

नाम.....

प्रथम आवेदक के अंगूठे का निशान

द्वितीय आवेदक के अंगूठे का निशान

(नोट:- उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदक स्वयं करें एवं आवेदन पत्र में किसी विवरण का काटना/मिटाना या इसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना है।)

आशियाना हाउसिंग लिमिटेड

शाखा कार्यालय: – चतुर्थ मंजिल, विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी (अलवर) राज. पिन कोड 301019, फोन 01493-665666

श्री / श्रीमती / सुश्री..... पिता / पति श्रीसे
आशियाना हाउसिंग लिमिटेड की परियोजनाओं में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी फ्लेट हेतु
आशियाना की परियोजनाके लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया।

आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क का चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न का विवरण—
चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक
बैंक का नाम शाखा

आवेदन पत्र प्राप्त जमा होने की दिनांक.....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

ashiana town EWS / LIG



प्रोजेक्ट के आकर्षण

बैंको द्वारा 90% तक लोन

गुणवत्ता पूर्ण निर्माण

रियायती दरों पर रजिस्ट्री

खुशखेड़ा औद्योगिक
क्षेत्र के पास

तुरन्त रहने योग्य फ्लैट

खुले हवादार फ्लैट


ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग प्लाजा

क्षेत्र में रोजगार के अवसर

आशियाना द्वारा रख-रखाव

भिवाडी की सबसे विकसित अलवर बाई-पास रोड पर थडा मोड के नजदीक

आशियाना टाउन बीटा मन्दिर के पास, आशियाना टाउन, अलवर बाई-पास रोड, ग्राम थड़ा, भिवाडी, राजस्थान





 **+91 94148 85370 | +91 74140 11448**

ब्रांच ऑफिस: चतुर्थ मंजिल, विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाडी (अलवर) राज.
पिन कोड 301019. फोन न. 01493-665666

www.ashianahousing.com